



## देश की आपराधिक न्यायिक प्रणाली में सुधार

यह एडिटोरियल 11/08/2023 को 'द हट्टि' में प्रकाशित Sedition 'repealed', death penalty for mob lynching: the new Bills to overhaul criminal laws पर आधारित है। इसमें देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता के बारे में चर्चा की गई है।

### प्रलिस के लिये:

[भारतीय दंड संहिता \(IPC\), 1860](#), [आपराधिक प्रक्रिया संहिता \(CrPC\), 1973](#) एवं [भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872](#), भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार, [भारतीय न्याय संहिता अधिनियम 2023](#), [भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अधिनियम 2023](#), [भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023](#), [आपराधिक न्याय सुधार संबंधी सफारिशें](#), [बोहरा समिति](#), [मलमिथ समिति](#), [माधव मेनन समिति](#), [पुलिस सुधारों पर सर्वोच्च न्यायालय के नरिदेश](#)।

### मेन्स के लिये:

आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधारों से संबंधित मुद्दे, कानूनी सुधारों में मानवाधिकार संबंधी चर्चाएँ, अधिनियम के प्रारूपण में पारदर्शिता की कमी, प्रस्तावित कानूनी परिवर्तनों में वसिगतियाँ।

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने लोकसभा में तीन नए अधिनियम पेश किये जो देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में संपूर्ण बदलाव का प्रस्ताव करते हैं जैसे:

- भारतीय न्याय संहिता अधिनियम, 2023, जो [IPC, 1860](#) को प्रतिस्थापित करेगा
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अधिनियम, 2023, जो [CrPC, 1898](#) को प्रतिस्थापित करेगा
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023, जो [साक्ष्य अधिनियम, 1872](#) को प्रतिस्थापित करेगा

### टपिपणी:

- भारतीय दंड संहिता (IPC) भारत की आधिकारिक आपराधिक संहिता है जिसे चार्टर अधिनियम, 1833 के तहत वर्ष 1834 में स्थापित प्रथम अधि आयोग के मद्देनजर वर्ष 1860 में तैयार किया गया था।
- दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) भारत में आपराधिक कानून के प्रशासन के लिये प्रक्रियाएँ प्रदान करती है। यह वर्ष 1973 में अधिनियमित हुआ और 1 अप्रैल 1974 को प्रभावी हुआ।
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो मूल रूप से ब्रिटिश राज के दौरान वर्ष 1872 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा भारत में पारित किया गया था, में भारतीय न्यायालयों में साक्ष्य की स्वीकार्यता को नियंत्रित करने वाले नियमों और संबद्ध मुद्दों का समूह शामिल है।

### आपराधिक न्याय प्रणाली:

- आपराधिक न्याय प्रणाली कानूनों, प्रक्रियाओं और संस्थानों का समूह है जिसका उद्देश्य सभी व्यक्तियों के अधिकारों तथा सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए अपराधों को रोकना, पता लगाना, दोषियों पर मुकदमा चलाना व दंडित करना है।
- इसमें पुलिस बल, न्यायिक संस्थान, वधायी निकाय और फोरेंसिक एवं जाँच एजेंसियों जैसे अन्य सहायक संगठन शामिल हैं।

### भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में प्रस्तावित परिवर्तन:

- भारतीय न्याय संहिता अधिनियम, 2023 में प्रस्तावित परिवर्तन:
  - यह अधिनियम [आतंकवाद](#) एवं [अलगाववाद](#), सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह, देश की संप्रभुता को चुनौती देने जैसे अपराधों को परिभाषित करता है, जिनका पूर्व में कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत उल्लेख किया गया था।
  - यह [राजद्रोह](#) के अपराध को रोकने पर केंद्रित है, जिसकी औपनिवेशिक वसिहत के रूप में व्यापक रूप से आलोचना की गई थी जो स्वतंत्र भाषण और असहमति पर अंकुश लगाता है।
  - यह [मॉब लचिंग](#) के लिये अधिकतम सज़ा के रूप में [मृत्युदंड](#) का प्रावधान करता है, जो हाल के वर्षों में एक खतरा रहा है।

- इसमें ववाह के झूठे वादे पर महिलाओं के साथ यौन संबंध बनाने के लिये 10 वर्ष की कैद का प्रस्ताव है, जो धोखे और शोषण का एक सामान्य रूप है।
- यह वधियक वशिष्ट अपराधों के लिये सजा के रूप में सामुदायिक सेवा का परचिय देता है, जो अपराधियों को सुधारने और जेलों में भीड़भाड़ को कम करने में मदद कर सकता है।
- इस वधियक में **चारजशीत** दाखलि करने के लिये अधिकतम 180 दिनों की सीमा तय की गई है, जिससे मुकदमे की प्रक्रिया में तेजी आ सकती है और अनश्चितकालीन देरी को रोका जा सकता है।
- इस वधियक में कहा गया है कि पुलिस को शकियात की स्थिति के वषिय में 90 दिनों में सूचति करना होगा, जिससे जवाबदेही और पारदर्शता बढ़ सकती है।
- **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहति वधियक, 2023 में प्रस्तावति परविरतन:**
  - यह परीक्षणों, अपीलों और गवाही की रिकॉर्डिंग के लिये प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देता है, जिससे कार्यवाही के लिये वीडियो-कॉन्फरेंसिंग की अनुमति मिलती है।
    - यह वधियक यौन हिसा के व्यक्तियों के बयान की वीडियो-रिकॉर्डिंग को अनविरय बनाता है, जो सबूतों को संरक्षति करने और बलपूर्वक या हेरफेर को रोकने में मदद कर सकता है।
  - इस वधियक में यह आवश्यक है कि पुलिस सात वर्ष या उससे अधिक की सज़ा वाले मामले को वापस लेने से पहले पीडति से परामर्श करे, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि न्याय से समझौता या उसे अस्वीकार नहीं कया जाए।
  - CrPC की धारा 41A को धारा 35 के रूप में पुनः करमांकति कया जाएगा। इस परविरतन में एक अतरिकित सुरक्षा शामिल है, जिसमें कहा गया है कि कम से कम पुलिस उपाधीकषक (DSP) रैंक के कसिी अधकिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई गरिफ्तारी नहीं की जा सकती है, खासकर 3 वर्ष से कम सज़ा वाले दंडनीय अपराधों के लिये या 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के लिये।
  - यह फरार अपराधियों के संबंध में न्यायालय को उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाने और सज़ा सुनाने की अनुमति देता है, जो भगोड़ों को न्याय से बचने से रोक सकता है।
  - यह मजसिस्ट्रेटों को ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप संदेशों आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के आधार पर अपराध का संज्ञान लेने का अधिकार देता है, जिससे साक्ष्य संग्रह और सत्यापन की सुवधा मलि सकती है।
  - मृत्युदण्ड के मामलों में दया याचिका **राज्यपाल** के पास 30 दिनि के अंतरगत और **राष्ट्रपति** के पास 60 दिनि के अंतरगत दाखलि की जानी चाहयि।
    - राष्ट्रपति के नरिणय के वरिद्ध कसिी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकेगी।

## भारतीय साक्ष्य वधियक, 2023 में प्रस्तावति परविरतन:

- यह वधियक इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को कसिी भी उपकरण या ससि्टम द्वारा उत्पन्न या प्रसारति कसिी भी जानकारी के रूप में परभाषति करता है जो कसिी भी माध्यम से संग्रहति या पुनरप्राप्त करने में सक्षम है।
- यह इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता जैसे प्रमाणिकता, अखंडता, वशि्वसनीयता आदि के लिये वशिष्ट मानदंड नरिधारति करता है, जो डिजिटल डेटा के दुरुपयोग या छेड़छाड़ को रोक सकता है।
- यह DNA साक्ष्य जैसे सहमति, हरिसत की शुरुखला आदि की स्वीकार्यता के लिये वशिष प्रावधान प्रदान करता है, जो जैविक साक्ष्य की सटीकता और वशि्वसनीयता को बढ़ा सकता है।
- यह वशिषज्ञ की राय को मेडिकल राय, लखिावट वशि्लेषण आदि जैसे साक्ष्य के रूप में मान्यता देता है, जो कसिी मामले से संबंधति तथ्यों या परस्थितियों को स्थापति करने में सहायता कर सकता है।
- यह **आपराधिक न्याय प्रणाली** के मूल सिद्धांत के रूप में नरिदोष होने की धारणा का परचिय देता है, जिसका अर्थ है कि अपराध के आरोपी प्रत्येक व्यक्त को उचति संदेह से परे दोषी साबति होने तक नरिदोष माना जाता है।

## भारत की वर्तमान आपराधिक न्याय प्रणाली:

- **लंबति मामलों की संख्या:** राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रडि के अनुसार, भारतीय न्यायालयों में न्यायापालिका के वभिनिन स्तरों पर 4.7 करोड़ से अधिक मामले लंबति हैं। इससे न्याय देने में देरी होती है, त्वरति सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन होता है और इस व्यवस्था में लोगों का वशिवास कम होता है।
- **संसाधनों और बुनयादी ढाँचे का अभाव:** आपराधिक न्याय प्रणाली अपर्याप्त धन, जनशक्ति और सुवधाओं से ग्रस्त है। न्यायाधीशों, अभयिजकों, पुलिस कर्मयिों, फोरेंसिक वशिषज्ञों और कानूनी सहायता वकीलों की कमी है।
  - 135 मिलियन लोगों के देश में, प्रतदि स लाख जनसंख्या पर (फरवरी 2023 तक) केवल 21 न्यायाधीश हैं।
  - उच्च न्यायालयों में लगभग 400 रकितयि हैं। वहीं नचिली न्यायापालिका में करीब 35% पद खाली पड़े हैं।
- **जाँच और अभयिजन की खराब गुणवत्ता:** जाँच और अभयिजन एजेंसयिों अक्सर संपूर्ण, नषिपक्ष और पेशेवर जाँच करने में वफिल रहति हैं। उन्हें राजनीतिक और अन्य प्रभावों के हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार और जवाबदेही की कमी का सामना करना पड़ता है।
- **मानवाधिकारों का उल्लंघन:** आपराधिक न्याय प्रणाली पर अधिकतर आरोपयिों, पीडति, गवाहों और अन्य हतिधारकों के मानवाधिकारों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया जाता है। हरिसत में यातना, न्यायेत्तर हत्याएँ, झूठी गरिफ्तारयिों अवैध हरिसत, जबरन बयान, अनुचति परीक्षण और कठोर दंड इसके उदाहरण हैं।
- **पुराने कानून और प्रक्रियाएँ:** आपराधिक न्याय प्रणाली उन कानूनों और प्रक्रियाओं पर आधारति है जो 1860 में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए थे। ये कानून पुराने हैं और समकालीन समय के अनुरूप नहीं हैं। ये साइबर अपराध, आतंकवाद, संगठति अपराध, मॉब लचिगि आदि जैसे अपराधों के नए रूपों को हल नहीं करते हैं।
- **सार्वजनिक धारणा:** **द्वितीय ARC** ने नोट कया है कि भारत में पुलिस-जनता के संबंध असंतोषजनक हैं क्योंकि लोग पुलिस को भ्रष्ट, अक्षम और अनुत्तरदायी मानते हैं और अक्सर उनसे संपर्क करने में संकोच करते हैं।

## भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार हेतु समितियाँ और उनकी सफ़ारिशें:

- **बोहरा समिति, 1993:** राजनीति के अपराधीकरण और राजनेताओं, नौकरशाहों, अपराधियों तथा असामाजिक तत्त्वों के बीच साँठगाँठ की बढ़ती समस्या से निपटान हेतु इस समिति का गठन किया गया।
  - इसने सफ़ारिश की कि विभिन्न स्रोतों से खुफिया जानकारी एकत्र करके तथा ऐसे तत्त्वों के खिलाफ उचित कार्रवाई करके इस खतरे से प्रभावी ढंग से निपटान के लिये एक संस्थान स्थापित किया जाना चाहिये।
- **मलमिथ समिति, 2003:** आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार हेतु इसने विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए सफ़ारिशें कीं। कुछ प्रमुख सफ़ारिशें इस प्रकार थीं:
  - छोटे-मोटे उल्लंघनों के लिये अपराधों की एक नई श्रेणी '**सामाजिक कल्याण अपराध (Social Welfare Offences)**' कहलाती है, जिससे जुरमाना लगाकर या सामुदायिक सेवा द्वारा निपटा जा सकता है।
  - प्रतिकूल प्रणाली को एक 'मशरति प्रणाली' से बदलना जिसमें तार्किक प्रणाली के कुछ तत्त्व शामिल हैं जैसे न्यायाधीशों को साक्ष्य एकत्र करने तथा गवाहों की जाँच करने में सक्रिय भूमिका निभाने की अनुमति देना।
  - दोषसिद्धि के लिये आवश्यक साक्ष्य के मानक को 'उचित संदेह से परे' से घटाकर 'स्पष्ट और ठोस साक्ष्य' करना।
  - वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के समक्ष की गई स्वीकारोक्ति को साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य बनाना।
- **माधव मेनन समिति, 2007:** इस समिति की स्थापना आपराधिक न्याय पर एक राष्ट्रीय नीति का मसौदा तैयार करने के लिये की गई थी। इसने सुधार प्रक्रिया को नरिदेशित करने के लिये विभिन्न सिद्धांतों और रणनीतियों का सुझाव दिया जैसे:
  - आपराधिक न्याय के हर चरण में मानवीय गरमा तथा मानवाधिकारों के लिये सम्मान सुनिश्चित करना।
  - पुनर्स्थापनात्मक न्याय को बढ़ावा देना जो सज़ा देने के बजाय अपराध से होने वाले नुकसान को ठीक करने पर केंद्रित है।
  - आपराधिक न्याय में शामिल विभिन्न एजेंसियों जैसे पुलिस, न्यायपालिका, अभियोजन आदि के बीच समन्वय एवं सहयोग में सुधार करना।
- **पुलिस सुधार पर सर्वोच्च न्यायालय के नरिदेश, 2006:** दो पूर्व पुलिस अधिकारियों प्रकाश सहि और एन.के. सहि द्वारा दायर एक जनहित याचिका के जवाब में, भारत में पुलिस सुधारों की मांग करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस बल की कार्यात्मक स्वायत्तता, जवाबदेही और व्यावसायिकता सुनिश्चित करने के लिये सात नरिदेश जारी किये। कुछ नरिदेश इस प्रकार थे:
  - पुलिस कार्यप्रणाली के लिये नीतियाँ बनाने, प्रदर्शन का मूल्यांकन करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिये राज्य सुरक्षा आयोग की स्थापना करना कि राज्य सरकारें पुलिस पर अनुचित प्रभाव या दबाव न डालें।
  - पुलिस महानिदेशक के लिये एक नरिदेशित कार्यकाल सुनिश्चित करना, जिसका चयन वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर एक पैनल के तहत किया जाना चाहिये न कि राजनीतिक कार्यपालिका की अनुशंसा के आधार पर।
  - त्वरित जाँच, बेहतर वशिषजता तथा लोगों के साथ बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने के लिये पुलिस की जाँच और वैधानिक कार्यों को अलग करना।
  - पुलिस कर्मियों द्वारा गंभीर कदाचार और अधिकारों के दुरुपयोग के आरोपों की जाँच हेतु राज्य एवं जिला स्तर पर एक पुलिस शिकायत प्राधिकरण की स्थापना करना।

## प्रस्तावित सुधारों का महत्त्व:

- इन सुधारों का उद्देश्य **आपराधिक कानूनों को आधुनिक और सरल** बनाना है, जो पुराने और जटिल हैं। यह सुधार कानूनों को भारतीय भावना और लोकाचार के अनुरूप बनाने में सहायक होंगे।
- यह सुधार IPC की धारा 124A के तहत कठोर **राजद्रोह कानून को नरिस्त** कर देगा, जिसकी सरकार के आलोचकों के खिलाफ दुरुपयोग हेतु व्यापक रूप से आलोचना की जाती है।
  - इन सुधारों से आतंकवाद, भ्रष्टाचार, मॉब लचिगि और संगठित अपराध जैसे नए अपराध भी शामिल होंगे, जो मौजूदा कानूनों द्वारा पर्याप्त रूप से कवर नहीं किये गए हैं।
- यह सुधार कुछ यौन अपराधों को **लगि तटस्थ** बना देगा, जिसमें महिलाओं के अलावा पुरुषों और ट्रांसजेंडरों को संभावित पीड़ितों और अपराधियों के रूप में शामिल किया जाएगा।
- इन सुधारों से जाँच, अभियोजन और नरिणय के दौरान **इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य तथा फोरेंसिक का उपयोग बढ़ेगा।**
- यह सुधार नागरिकों को कसि भी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करने की अनुमति देकर **सशक्त** बनाएगा, चाहे अपराध कसि भी स्थान पर हुआ हो। यह सुधार नागरिकों के जीवन के अधिकार, स्वतंत्रता, गरमा, गोपनीयता और नरिषिपक्ष सुनवाई जैसे संवैधानिक अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा भी प्रदान करेगा।

## आपराधिक न्याय प्रणाली में वर्तमान प्रस्तावित सुधारों से संबंधित मुद्दे

- **परामर्श एवं पारदर्शिता का अभाव:** वधियकों का प्रारूप **आपराधिक कानून सुधार समिति, 2020** द्वारा तैयार किया गया था।
- इसमें न्यायपालिका, बार, नागरिक समाज या हाशिये पर रहने वाले समुदायों का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं था। इस समिति ने व्यापक परामर्श एवं प्रतिक्रिया के लिये अपनी रिपोर्ट अथवा मसौदा वधियक भी सार्वजनिक नहीं किया।
- **मानवाधिकारों का संभावित उल्लंघन:** वधियक की आलोचना अस्पष्ट और व्यापक शब्दों का उपयोग करने के लिये की गई है जो आरोपियों, पीड़ितों, गवाहों के साथ अन्य हतिधारकों के मानवाधिकारों का उल्लंघन कर सकते हैं।
- उदाहरण के लिये, **BNS ने धारा 150 के अंतर्गत "भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों" को अपराध घोषित** किया है, जो IPC की धारा 124A के अंतर्गत राजद्रोह के नरिस्त अपराध के समान है। इसका प्रयोग असहमति और स्वतंत्र भाषण को दबाने के लिये किया जा सकता है।
- इसी प्रकार से, **BSB धारा 27A के अंतर्गत एक पुलिस अधिकारी के समक्ष किये गए बयानों को साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य** होने की अनुमति देता है, जिससे हरिसत में यातना तथा दबाव का खतरा बढ़ सकता है।

- **BNSS, पुलसि को बना कसि न्यायकि नगिरानी या सुरक्षा उपायों के गरिफ्तारी,** तलाशी, जब्ती एवं हरिसत में लेने की व्यापक शक्तियाँ भी प्रदान करता है।
- **सुसंगत एवं एकरूपता का अभाव:** इसे अन्य व्याप्त कानूनों के साथ-साथ एक-दूसरे के साथ वरीधाभासी होने का आरोप लगाया गया है। उदाहरण के लिये,
- इसके अतरिकित, **BSB दोषसदिधि के लिये सबूत के मानक "उचित संदेह" को "स्पष्ट और ठोस सबूत" से बदल** देता है, जसि वधियक में परभाषति नही कया गया है और न ही समझाया गया है।
- **BNSS अपराधों की एक नई श्रेणी** भी नरिमति करता है जसि "सामाजिक कल्याण अपराध" कहा जाता है, जसि जुर्माना अथवा सामुदायिक सेवा लगाकर समाधान कया जा सकता है, लेकिन यह नरिदषिट नही करता है किकौन से अपराध इस श्रेणी में आते हैं।

## क्या कयि जाने की आवश्यकता है?

प्रस्तावति सुधारों में चुनौतियों और संभावति कमियों का समाधान करने के लिये अधिक समावेशी एवं व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

- **समावेशी परामर्श:** कसि भी सुधार को लागू करने से पहले वविधि दृष्टिकोणों को समायोजति करने के लिये सामान्य जनता सहति सभी हतिधारकों को शामिल करते हुए एक व्यापक परामर्श प्रक्रया प्रारंभ करना।
- **मानवाधिकारों की रक्षा:** मानवाधिकार सिद्धांतों और सुरक्षा उपायों को शामिल करना, संभावति दुरुपयोग को रोकने के लिये अस्पष्ट शर्तों को परभाषति करना और उन्हें सीमति करना।
- **सुसंगत कानूनी ढाँचा:** प्रस्तावति अध्यादेशों और मौजूदा कानूनों में स्थरिता और सुसंगतता सुनिश्चित करना।
- **प्रौद्योगिकी एकीकरण:** आपराधिक न्याय प्रक्रया में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाना, जसिमें डिजिटल साक्ष्य संग्रह, ऑनलाइन कार्यान्वयन और त्वरति सुनवाई हेतु वीडियो-रिकॉर्ड कयि गए बयान, बैकलॉग कम करना और पारदर्शति बढ़ाना शामिल है।
- **क्षमता नरिमाण:** कानून प्रवर्तन एजेंसियों, न्यायपालिका और कानूनी सेवाओं की क्षमता बढ़ाने के लिये प्रशिक्षण, भरती और बुनयादी ढाँचे में नविश करना, जसिके परिणामस्वरूप पर्याप्त संसाधनों द्वारा न्याय प्रशासन अधिक कुशल और नषिपक्ष हो सकेगा।
- **पुनरस्थापनात्मक न्याय (Restorative Justice):** पुनरस्थापनात्मक न्याय सिद्धांतों को अपनाना जो अपराध के मूल कारणों को हल करते हैं, अपराध की पुनरावृत्ति को कम करना और पीड़ितों को समाधान प्रदान करने के लिये सुलह, पुनरस्थापन तथा पुनर्वास पर ध्यान केंद्रति करना।

**जन-जागरूकता:** पुलसि-जन संपर्कों को बेहतर बनाने के लिये आपराधिक न्याय प्रणाली के तहत जनता को उनके अधिकारों और उत्तरदायितियों के बारे में शक्ति करने के लिये जागरूकता अभियान संचालति करना।

इन प्रगतशील कदमों को आगे बढ़ाकर एक राष्ट्र के रूप में हम एक आपराधिक न्याय प्रणाली की दशिा में कार्य कर सकते हैं जो वधिके शासन को कायम रखती है, मानवाधिकारों की रक्षा करती है और सामान्य जन की वविधि आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूर्ण करती है।

### दृष्टिभेन्स प्रश्न :

भारतीय न्याय संहति वधियक, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहति वधियक और भारतीय साक्ष्य वधियक, 2023 में उल्लिखति भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रस्तावति बदलावों (नरििक्षण) पर चर्चा कीजयि। इन प्रस्तावति बदलावों से संबंधति संभावति लाभों और चतिाओं का वशि्लेषण कीजयि। (250 शब्द)।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

????????

प्रश्न. नमिनलखिति में से कसि सुधार के लिये भारत सरकार द्वारा वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन कया गया था? (2008)

1. पुलसि सुधार
2. कर सुधार
3. तकनीकी शक्ति में सुधार
4. प्रशासनिक सुधार

उत्तर: D

??????:

प्रश्न. हम देश में महिलाओं के खिलाफ यौन हसिा के मामलों में वृद्धिदेख रहे हैं। इसके खिलाफ मौजूदा कानूनी प्रावधानों के बावजूद ऐसी घटनाओं

की संख्या बढ़ रही है। इस खतरे से निपटने के लिये कुछ अभिनव उपाय सुझाइये। ( 2014)

प्रश्न. भीड़ हिसा भारत की कानून-व्यवस्था के समक्ष एक गंभीर समस्या के रूप में उभर रही है। उपयुक्त उदाहरण देते हुए ऐसी हिसा के कारणों एवं परिणामों का विश्लेषण कीजिये। (2015)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/reforming-country-s-criminal-justice-system>

